

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क0-446 / 14
संस्थापित दि0 21 / 07 / 2014
फाईलिंग नं. 233504005362014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

1. विशाल पिता बसोड़ीलाल, उम्र 36 वर्ष,
2. मुनीम पिता मदन, उम्र 22 वर्ष,
 उक्त दोनों:-जाति-बसदेवा, पेशा भिक्षावृत्ति,
 ग्राम रानीडोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्तगण.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-20/01/2017 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-452 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 31/05/14 समय शाम 8:30 बजे या उसके लगभग फरियादी के घर के अन्दर ग्राम रानीडोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी सरितलाल के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया।

02— दिनांक 20/01/17 को फरियादी सरितलाल आहत सेतोबाई तथा अभियुक्तगण विशाल, मुनीम के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त को धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31/05/14 को उसकी छोटी लड़की रोहनी को उसकी पत्नी जतरोबाई द्वारा गाली गुप्तार कर रही थी जो उसने अपनी पत्नी जतरोबाई को बोला कि लड़की को क्यों गाली दे रही है इतने में उसका साला मुनिम बसदेवा और विशाल बसदेवा उसके घर आये बोले कि क्यों जतरोबाई को गाली दे रहा है। इस बात पर से मुनिम, और विशाल दोनों मादर चोद बहन की गालियाँ देने लगा तो उसने गाली देने से मना किया और वह उसके घर चला गया तो मुनिम बसदेवा और विशाल बसदेवा उसके घर में अंदर घुसकर उसे पहले दोनों ने हाथ मुक्का से मारपीट कर घर से बाहर निकाला और विशाल ने उसे कुल्हाड़ी लेकर आया और मारने लगा जो उसे दांहिने हाथ की अंगुली पर मारा, जो चोट लगकर खून निकला है। मुनिम ने लकड़ी से पीठ पर गाल पर मारा चोट लगी है। उसकी बहन सेतोबाई बीच बचाव करने आई तो उसे भी हाथ मुक्का से मारपीट किया है। गवाह शशिबाई, बिरतोबाई, लायचीबाई ने देखा और और सुना है। विशाल बसदेवा, मुनिम बसदेवा बोले कि यदि रिपोर्ट करेगा तो जान से मारने की धमकी भी दिया है।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र०पी०-1 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 389/14 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 294, 323, 325, 341, 452, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 01/06/14 को घटना का नक्शा मौका प्र०पी० 2 बनाया गया, फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 31/05/14 समय शाम 8:30 बजे या उसके लगभग फरियादी के घर के अन्दर ग्राम रानीडोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी सरितलाल के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 का निराकरण

7— अभियोजन साक्षी सरितलाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी पत्नी जतरोबाई लड़की को गाली दे रही थी, उसका साला मुनीर और सादू भाई उसके घर बाहर आंगन में आया और उससे गाली गलौच करने लगा और उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की और लकड़ी से भी मारा। आरोपीगण धमकी दे रहे थे कि आज बच गया और ज्यादा बोले तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना की रिपोर्ट उसने थाना आमला में की थी जो प्र०पी० 1 है एवं घटना स्थल पर पुलिस आयी थी और मौका नक्शा बनाया था जो प्र०पी० 2 है। घटना में उसकी बहन के साथ भी मारपीट की थी। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके घर के अंदर घुसकर उसके साथ मारपीट की थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका झगड़ा बाहर हुआ था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सरितलाल के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०दं०वि० की धारा 452 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

08— अभियोजन साक्षी सेतोबाई (अ०सा०२) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने का समर्थन नहीं किया है।

09— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सरितलाल के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सरितलाल के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार अभियुक्तगण विशाल, मुनीम को भा०द०वि० की धारा-452 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०